

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-05/2018-

पटना, दिनांक-

डा० वीणा गुप्ता, असिस्टेंट क्लीनिकल पैथोलॉजिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को अपनी पुत्री से मिलने हेतु दिनांक-06.06.2018 से 03.08.2018 तक कैलिफोर्निया (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।


1. डा० गुप्ता, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगी।
2. डा० गुप्ता, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगी।
3. डा० गुप्ता, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगी।
4. डा० गुप्ता, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड की भागी होंगी।
5. डा० गुप्ता, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-

(सचिवदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-17/एल 1-05/2018- 162(17) /पटना, दिनांक- 7/3/18  
प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/डा० वीणा गुप्ता, असिस्टेंट क्लीनिकल पैथोलॉजिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
7/3/18  
सरकार के विशेष सचिव।